उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-20/2019/1594/तीस-4-2019-02(सा0)/18
लखनऊ : दिनाँक 07 नवम्बर, 2019

संशोधन/शुद्धि-पत्र

परिवहन विभाग में निष्प्रयोज्य घोषित कुल 15 वाहनों के सापेक्ष कुल 14 वाहनों के क्रय हेतु रू0 98,83,991.00 (अट्ठानवे लाख तिरासी हजार नौ सौ इक्यानवे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासन के आदेश संख्या-19/2019/1380/तीस-4-2019-02(सा0)/18, दिनांक 17-10-2019 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में अंकित चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या'43 के अन्तर्गत पूँजीगत पक्ष के लेखाशीर्षक 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-0800 अन्य व्यय-03 परिवहन आयुक्त कार्यालय-14 मोटर गाड़ियों का क्रय के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-43 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के लेखा शीर्षक-3055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-0800 अन्य व्यय-03 त्रुटिवश अंकित हो गया है।

2- अत: शासनादेश दिनांक 17-10-2019 के प्रस्तर-2 में वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-43 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के लेखा शीर्षक-3055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-0800 अन्य व्यय-03 के स्थान पर **चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत पूँजीगत पक्ष के लेखाशीर्षक 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-0800 अन्य व्यय-03 परिवहन आयुक्त कार्यालय-14 मोटर गाड़ियों का क्रय पढ़ा जाय।**

3- उक्त शासनादेश दिनांक 17-10-2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष अन्य शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेगी।

भवदीय,

(अनिल कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या- 20/2019/1594(1)/तीस-4-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।